

पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान (प्रिट)
लोहिया भवन, अलीगंज, लखनऊ।
E-mail:-pritup2016@gmail.com

सूचना

पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान (प्रिट) में आउटसोर्सिंग पर लिए जाने वाले पंचायती राज विशेषज्ञ एवं ग्राम विकास विशेषज्ञ के एक-एक पद हेतु सूचना

पंचायती राज निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ में स्थिति पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान (प्रिट) हेतु पंचायती राज विशेषज्ञ तथा ग्राम विकास विशेषज्ञ के एक-एक पदों के लिए आवेदन आमंत्रित है। अपेक्षित योग्यता रखने वाले और अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले इच्छुक उम्मीदवारों को अपना आवेदन पत्र ई-मेल:- pritup2016@gmail.com पर दिनांक 30 मार्च, 2021 को सायं 06:00 बजे तक जमा करना होगा। आवेदन का निर्धारित प्रारूप व शैक्षिक योग्यता, अर्हता, आयु तथा मानदेय का विवरण संलग्न है।

निदेशक / उपाध्यक्ष
'प्रिट'

**पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान (प्रिट) में आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरे जाने वाले
पंचायती राज विशेषज्ञ एवं ग्राम विकास विशेषज्ञ के एक-एक पद हेतु आवेदन पत्र का
प्रारूप**

आवेदन हेतु पद का नाम (टिक करें)–

क्र.सं.	पदनाम	टिक करें
1.	पंचायती राज विशेषज्ञ	
2.	ग्राम विकास विशेषज्ञ	



1. आवेदक का नाम –
2. पिता/पति का नाम –
3. जन्मतिथि – / /
4. विवाहित/अविवाहित –
5. पता –
6. मोबाईल नम्बर –
7. वैकल्पिक फोन नम्बर –
8. ई-मेल –
9. शैक्षिक योग्यता–

क्र. सं.	डिग्री	वर्ष	बोर्ड/ विश्वविद्यालय	विषय	श्रेणी	प्रतिशत
1.	हाई स्कूल					
2.	इण्टरमीडिएट					
3.	स्नातक					
4.	परास्नातक					
5.	अन्य डिग्री/ सर्टिफिकेट					

10. पंचायतीराज/ग्राम विकास विभाग में कार्य करने का अनुभव (वर्षों में)–

क्र. सं.	विभाग का नाम	समय		पदनाम	भूमिका एवं जिम्मेदारी	कुल वर्ष
		कब से	कब तक			

दिनांक–

हस्ताक्षर

● पंचायती राज विशेषज्ञ तथा ग्राम विकास विशेषज्ञ के एक-एक पद हेतु शैक्षिक योग्यता, अर्हता, आयु तथा मानदेय का विवरण।

क्र. सं.	पदनाम	संख्या	शैक्षिक अर्हता एवं अनुभव	आयु-सीमा	मानदेय
1.	पंचायती राज विशेषज्ञ	01	स्नातकोत्तर की उपाधि तथा पंचायती राज विभाग में न्यूनतम क्लास-2 अधिकारी के रूप में कार्य करने का 10 वर्ष का अनुभव।	30 वर्ष से 65 वर्ष तक।	50,000/- (सर्विस चार्ज व कर अतिरिक्त)
2.	ग्राम विकास विशेषज्ञ	01	स्नातकोत्तर की उपाधि तथा ग्राम विकास विभाग में न्यूनतम क्लास-2 अधिकारी के रूप में कार्य करने का 10 वर्ष का अनुभव।	30 वर्ष से 65 वर्ष तक।	50,000/- (सर्विस चार्ज व कर अतिरिक्त)

